न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 324/2018 दायर दिनाँक 13.09.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. अलीखॉं पुत्र उमरखॉं, उम्र–65साल, जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मोहम्मद युसुफ पुत्र कमरूदीन, 2. मोहम्मद युनूस पुत्र कमरूदीन, 3. मोहम्मद मन्सूर पुत्र कमरूदीन, 4. सरफूदीन पुत्र फक रूदीन, 5. गुलाब पत्नी पुत्र जफरूदीन, 6. सलामत पुत्री फकरूदीन, 7. फातमा पुत्री फकरूदीन, 8. नजमा पुत्री फकरूदीन, 9. सरवरखॉं पुत्र उमरखॉं, 10. मोहम्मद शौकत शेरानी उर्फ फारूक पुत्र उमरखॉं, 11. अजीज मोहम्मद पुत्र गुलाबखॉं उर्फ गुलाम मोहम्मद, 12. शेर मोहम्मद पुत्र गुलाबखॉं उर्फ गुलाम मोहम्मद, 13. इकबाल मोहम्मद पुत्र गुलाबखॉं उर्फ गुलाम मोहम्मद, समस्त, जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 14. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी।
2. श्री अल्ताफ हुसैन, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 03, 06 ता 08, 11 ता 13 की ओर से।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 324 / 2018
दायर दिनॉक 13.09.2018, निर्णय दिनॉक 09.10.2018
अलीखॉं बनाम् मोहम्मद युसुफ, वगैरा।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 09.10.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 01 रकबा 24.16 बीघा तथा सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 397 रकबा 24.00 बीघा व खसरा नम्बर 400 रकबा 28.03 बीघा भूमि अवस्थित है, जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 की संयुक्त खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

खातेदार जुबेदा फौत हो चुकी है जिसके वारिशान्, प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 13 हैं। प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 08 के पिता फकरूदीन व माता सायरा फौत हो चुके हैं। जफरूदीन फौत हो चुके है इसलिए उनकी पत्नी को प्रतिवादी संख्या 05 बतौर पक्षकार बनाया गया है।

प्रतिवादी संख्या 10 का नाम "फारूख" दर्ज है जबकि इनके समस्त अन्य दस्तावेजात्– आधार कार्ड, राशन–कार्ड व पासपोर्ट में "मोहम्मद शौकत शेरानी" दर्ज है इसलिए इनका नाम वादग्रस्त खसरान् की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में "फारूख" के स्थान पर "मोहम्मद शौकत शेरानी" दुरस्त किया जावे।

वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज अवश्य है मगर भूमि का मौखिक बन्टवारा वादी व प्रतिवादीगण के बीच हो चुका है जिसके अनुसार वे काबिज काश्त है, जो इस कदर है:–

1. खाटूखुर्द के खसरा नम्बर 397 रकबा 24.00 बीघा में से रकबा 08.00 बीघा वादी के व रकबा 08.00 बीघा प्रतिवादी संख्या 09 के व रकबा 08.00 बीघा प्रतिवादी संख्या 10 के बन्ट में आया है।
2. खाटूखुर्द के खसरा नम्बर 400 रकबा 28.03 बीघा में से रकबा 14.01 बीघा पश्चिमी हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 के व रकबा 14.02 बीघा पूर्वी हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 के बन्ट में आया है।
3. शेरानी आबाद के खसरा नम्बर 01 रकबा 24.16 बीघा में से रकबा 07.08 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के व रकबा 07.08 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 04 व 05 व रकबा 10.00 बीघा प्रतिवादी संख्या 11 के बन्ट में आया है।

सामाजिक रीति–रिवाज अनुसार, प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 08 को उनका हक अदा कर दिया गया है, इसलिए इनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जावे।

वादी अपने हिस्से की भूमि में कदीम से काश्त करते आये है मगर दिनॉक 28.08.2018 को प्रतिवादीगण ने वादी को दखन्दाजी करतु हुए एलानियॉं धमकी दी।

तहसीदार डीडवाना लेण्ड होल्डर को दो माह की अवधि का कानूनी नोटिस, दावा किसी सरकारी भूमि बाबत् नहीं होने से, नहीं दिया गया है।

प्रार्थना वादी है कि,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 324/2018
दायर दिनाँक 13.09.2018, निर्णय दिनाँक 09.10.2018
अलीखाँ बनाम् मोहम्मद युसुफ, वगैरा।

1. खाटूखुर्द के खसरा नम्बर 397 रकबा 24.00 बीघा में से रकबा 08.00 बीघा वादी के व रकबा 08.00 बीघा प्रतिवादी संख्या 09 के व रकबा 08.00 बीघा प्रतिवादी संख्या 10 के खातेदारी में किया जावे।
2. खाटूखुर्द के खसरा नम्बर 400 रकबा 28.03 बीघा में से रकबा 14.01 बीघा पश्चिमी हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 के व रकबा 14.02 बीघा पूर्वी हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 के खातेदारी में किया जावे।
3. शेरानी आबाद के खसरा नम्बर 01 रकबा 24.16 बीघा में से रकबा 07. 08 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के व रकबा 07.08 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 04 व 05 व रकबा 10.00 बीघा प्रतिवादी संख्या 11 के खातेदारी में किया जावे।
4. सामाजिक रीति–रिवाज अनुसार, प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 08 को उनका हक अदा कर दिया गया है, इसलिए इनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जावे।
5. वादग्रस्त खसरान् की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में, दर्ज प्रतिवादी संख्या 10 मोहम्मद शौकत शैरानी का नाम "फारूख" के स्थान पर "मोहम्मद शौकत शेरानी" दुरस्त किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 04, 10 व 14 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

प्रतिवादीगण संख्या 01, 3, 06 ता 08, 11 ता 13 की ओर से इकबालिया जवाब पेश हुआ। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02, 05 व 09 की ओर से राजीनामा पेश हुआ।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02, 05 व 09 की ओर से पेश राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी ने व प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री अल्ताफ हुसैन ने की।

राजीनामा मुताबिक,

1. सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 397 रकबा 24.00 बीघा में से रकबा 08.00 बीघा का वादी को व रकबा 08.00 बीघा का प्रतिवादी 09 को व रकबा 08.00 बीघा का प्रतिवादी संख्या 10 को नजरीनक्शा अनुसार खातेदार घोषित किया जावे।
2. सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 400 रकबा 28.03 बीघा में से रकबा 14.01 बीघा पश्चिमी भाग का प्रतिवादी संख्या 12 को व रकबा 14.02 बीघा पूर्वी भाग का प्रतिवादी संख्या 13 को नजरीनक्शा अनुसार खातेदार घोषित किया जावे।
3. सरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 01 रकबा 24.16 बीघा में से रकबा 07.04 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को व रकबा 07. 04 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 04 व 05 को व रकबा 10.08 बीघा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

का प्रतिवादी संख्या 11 को नजरीनक्शा अनुसार खातेदार घोषित किया जावे।

4. प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 08 का नाम वादग्रस्त खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जावे।
5. प्रतिवादी संख्या 10 मोहम्मद शौकत शैरानी का नाम "फारुक" के स्थान पर "मोहम्मद शौकत शैरानी" दुरस्त किया जावे।

वाद के समर्थन में वादी ने, जमाबन्दी ग्राम खाटूखुर्द सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 62/54 खसरा नम्बर 397, 400 तथा जमाबन्दी ग्राम शेरानी आबाद सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 112/100 खसरा नम्बर 01 की सत्यप्रतियाँ पेश की।

विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् जरिये वकुलाय मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक सहमत हैं इसलिए राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, वादग्रस्त खसरान् की भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, वर्तमान् खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "ब", में दर्शित/वर्णित अनुसार भूमि की खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

1. सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 397 रकबा 24.00 बीघा भूमि में से रकबा 08.00 बीघा भूमि का वादी को व रकबा 08.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 09 को व रकबा 08.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 400 रकबा 28.03 बीघा भूमि में से रकबा 14.01 बीघा पश्चिमी भाग भूमि का प्रतिवादी संख्या 12 को व रकबा 14.02 बीघा पूर्वी भाग भूमि का प्रतिवादी संख्या 13 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. सरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 01 रकबा 24.16 बीघा भूमि में से रकबा 07.04 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को व रकबा 07.04 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 04 व 05 को व रकबा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 324 / 2018
दायर दिनॉक 13.09.2018, निर्णय दिनॉक 09.10.2018
अलीखॉ बनाम् मोहम्मद युसुफ, वगैरा।

10.08 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 11 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

4. प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 08 का नाम उपुर्यक्त मौजूदा वादग्रस्त खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

5. सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 400 रकबा 28.03 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 400 रकबा 28.03 बीघा भूमि तथा सरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 01 रकबा 24.16 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज, प्रतिवादी संख्या 10 मोहम्मद शौकत शैरानी का नाम, "फारुक पि. उमरखाँ" के स्थान पर "मोहम्मद शौकत शैरानी उर्फ फारुक पि. उमरखाँ" दुरस्त किया जाता है।

तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "ब", निर्णय डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनॉक **09.10.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: 324/2018 दायर दिनॉक 13.09.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. अलीखाँ पुत्र उमरखाँ, उम्र–65साल, जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मोहम्मद युसुफ पुत्र कमरूदीन, 2. मोहम्मद युनूस पुत्र कमरूदीन, 3. मोहम्मद मन्सूर पुत्र कमरूदीन, 4. सरफूदीन पुत्र फ~~क~~रूदीन, 5. गुलाब पत्नी पुत्र जफरूदीन, 6. सलामत पुत्री फकरूदीन, 7. फातमा पुत्री फकरूदीन, 8. नजमा पुत्री फकरूदीन, 9. सरवरखाँ पुत्र उमरखाँ, 10. मोहम्मद शौकत शेरानी उर्फ फारूक पुत्र उमरखाँ, 11. अजीज मोहम्मद पुत्र गुलाबखाँ उर्फ गुलाम मोहम्मद, 12. शेर मोहम्मद पुत्र गुलाबखाँ उर्फ गुलाम मोहम्मद, 13. इकबाल मोहम्मद पुत्र गुलाबखाँ उर्फ गुलाम मोहम्मद, समस्त,जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 14. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनॉक 09.10.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी व श्री मोहम्मद रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 03, 06 ता 08, 11 ता 13 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, वादग्रस्त खसरान् की भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "ब", में दर्शित/वर्णित अनुसार भूमि की खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

1. सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 397 रकबा 24.00 बीघा भूमि में से रकबा 08.00 बीघा भूमि का वादी को व रकबा 08.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 09 को व रकबा 08.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 400 रकबा 28.03 बीघा भूमि में से रकबा 14.01 बीघा पश्चिमी भाग भूमि का प्रतिवादी संख्या 12 को व रकबा 14.02 बीघा पूर्वी भाग भूमि का प्रतिवादी संख्या 13 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. सरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 01 रकबा 24.16 बीघा भूमि में से रकबा 07.04 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को व रकबा 07.04 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 04 व 05 को व रकबा 10.08 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 11 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 08 का नाम उपुर्यक्ता मौजूदा वादग्रस्त खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।
5. सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 400 रकबा 28.03 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 400 रकबा 28.03 बीघा भूमि तथा सरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 01 रकबा 24.16 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज, प्रतिवादी संख्या 10 मोहम्मद शौकत शैरानी का नाम, "फारूक पि. उमरखॉं" के स्थान पर "मोहम्मद शौकत शैरानी उर्फ फारूक पि. उमरखॉं" दुरस्त किया जाता है।

तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "ब", निर्णय डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग..........–.............. बाबत............... .....–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **09.10.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	--		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	--		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–324–2018/रीडर/2018/ 910 दिनाँक 24/10/18

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. अलीखाँ पुत्र उमरखाँ, उम्र–65साल, जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मोहम्मद युसुफ पुत्र कमरूदीन, 2. जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नही हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner